उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग--3

संख्या सा--4--जी0 आई0--4/दस--89--59-81

लखनऊ, 20 जुलाई, 1989

विज्ञप्ति

विविध

जनरल प्राविडेन्ट फण्ड (उत्तर प्रदेश) रूल्स, 1985 के नियम 11 (1), कान्ट्रीब्यूटरी प्राविडेन्ट फण्ड (उत्तर प्रदेश) रूल्स के नियम 11 (1) तथा कान्ट्रीब्यूटरी प्राविडेन्ट फण्ड पेंशन इन्श्योरेन्स रुल्स, 1948 के नियम 9 के प्राविधानों के अनुसार, राज्यपाल महोदय घोषित करते हैं कि जनरल प्राविडेन्ट फण्ड (उत्तर प्रदेश), कान्ट्रीब्यूटरी प्राविडेन्ट फण्ड (उत्तर प्रदेश) तथा उत्तर प्रदेश कान्ट्रीब्यूटरी प्राविडेन्ट पेंशन इन्श्योरेन्स फण्ड में अभिदाताओं (सब्सक्राइबर्स) द्वारा वित्तीय वर्ष 1989--90 में जमा की गयी तथा उनके नाम अवशेष पर ब्याज की दर सभी खातों में जमा कुल राशि पर 12 प्रतिशत (बारह प्रतिशत) प्रति वर्ष होगी । यह दर पहली अप्रैल, 1989 से प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान लागू होगी ।

2--ब्याज की गणना हेतु एक सद्योगण क (रेडी रेकनर) संलग्न है ।

आज्ञा से,
वी0 के0 सक्सेना,
प्रमुख सचिव, वित्त ।

संख्या सा--4--जी0आई0--4(1)/दस--89--59-81, तद्दिनांक

प्रतिलिपि अंग्रेजी अनुवाद सहित निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित, कि वे कृपया इस विज्ञप्ति की सरकारी गजट के अगले अंक में प्रकाशित कर दें ।

आज्ञा से,
गणेश दत्त दीक्षित,
उप सचिव ।

संख्या सा--4--जी0 आई0--4(2)/दस--89--59-81, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

1--समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
2--सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
3--महालेखाकार (लेखा प्रथम व लेखा द्वितीय), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
4--सचिव, विधान सभा/परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
5--निदेशक, वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान, 24/3, इन्दिरा नगर लखनऊ ।

आज्ञा से,
गणेश दत्त दीक्षित,
उप सचिव ।

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

FINANCE (G-4) SECTION

No. G-4-G.I/4/X-89-59-81

Dated Lucknow, July 20, 1989

NOTIFICATION

Miscellaneous

In accordance with the provision of Rule 11(1) of the General Provident Fund, (U.P.) Rules, 1985, Rule 11(1) of the Contributory Provident Fund (U.P.) Rules and Rule 9 of the U. P. Contributory Provident Fund Pension Insurance Rules, 1948, the Governor is pleased to announce that the rate of interest on deposits and also on the balance at the credit of the subscribers to General Provident Fund (U. P.), Contriutory Providet Fund (U. P.) and the U. P. Contributry Provident Pension Insurance Fund shall be 12 per cent (Twelve per cent) per annum during the financial year 1989-90 on all accounts. This rate shall be in force during the financial year beginning on April 1, 1989.

2. A ready reckoner for calculation of interest is enclosed.

By order

V. K. SAXENA,

Pramukh Sachiv.

भविष्य निर्वाह निधि में जमा अवशेष पर ब्याज के आगणन हेतु सदृयोगणक

वर्ष 1989–90 अवशेष (रु0)	ब्याज की दर 12 प्रतिशत ब्याज (रु0)	वर्ष 1989–90 अवशेष (रु0)	ब्याज की दर 12 प्रतिशत ब्याज (रु0)
1	2	1	2
1	0.12	800	96.00
2	0.24	900	108.00
3	0.36	1,000	120.00
4	0.48	2,000	240.00
5	0.60	3,000	360.00
6	0.72	4,000	480.00
7	0.84	5,000	600.00
8	0.96	6,000	720.00
9	1.08	7,000	840.00
10	1.20	8,000	960.00
20	2.40	9,000	1,080.00
30	3.60	10,000	1,200.00
40	4.80	20,000	2,400.00
50	6.00	30,000	3,600.00
60	7.20	40,000	4,800.00
70	8.40	50,000	6,000.00
80	9.60	60,000	7,200.00
90	10.80	70,000	8,400.00
100	12.00	80,000	9,600.00
200	24.00	90,000	10,800.00
300	36.00	1,00,000	12,000.00
400	48.00		
500	60.00		
600	72.00		
700	84.00		

पी0एल0डब्लू0पी0—ए0पी0 82 सा0 (वित्त)—28-7-89—(1497)—1989—10,000 (मेक0)।